



**छात्रवृत्ति सूचना**


सेवा मे,  
प्राचार्य/प्राचार्या (राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित)  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय  
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।  
विषय:- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 के मास्टर डाटा की हार्ड कॉपी जमा करने के सम्बद्ध में।  
महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 32/2025/473/26-3-2025/C.N-1513982 दिनांक 21 फरवरी, 2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शिक्षण संस्था स्तर से पाठयक्रमों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लॉक त्रुटिपूर्ण सीटों की संख्या को एडिट करने से लेकर अग्रतर कार्यवाही हेतु पोर्टल को शिक्षण संस्था के लिए दिनांक 01 व 02 मार्च 2025 को पोर्टल पुनः खोला जा रहा है। विशेष सचिव, उ०प्र० शासन की समय सारिणी के अनुसार, आपको अवगत कराना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से संबन्धित नवीन/पूर्व से संचालित शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है, सत्र 2024-25 में जिन शिक्षण संस्था का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक नहीं हुआ है वह डिजिटल लॉक कर ले, और पाठयक्रमों की त्रुटिपूर्ण सीटों की संख्या को सही एडिट करके उसकी डिजिटल लॉक की हार्ड कॉपी नोडल अधिकारी कार्यालय नेहरू केन्द्र भवन विश्वविद्यालय परिसर में श्री उमेश कुमार के पास दिनांक 04/03/2025 शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ फाइल जमा कराने का कष्ट करें-

1. कवरिंग लेटर
2. डिजिटल लॉक मास्टर डाटा
3. सम्बद्धता पत्र
4. अनुमोदन पत्र (प्राचार्य/प्राचार्या)
5. आइस कोड(AISHE Certificate)
6. आधार कार्ड की छायाप्रति (प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी)
7. पैन कार्ड की छायाप्रति(प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी)
8. सत्र 2023-24 छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र-छात्राएँ की सूची
9. निम्नलिखित प्रारूप।

क्रम सं०	महाविद्यालय में संचालित पाठयक्रम /विषय के नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	सम्बद्धता की स्थिति (स्थायी /अस्थायी)	स्थायी /अस्थायी सत्र

अतः कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय तक अपने महाविद्यालय का मास्टर डाटा संलग्नकों सहित जमा कराने का कष्ट करें, उक्तनिर्धारित तिथि के पश्चात मास्टर डाटा को अग्रसरित कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय  
  
प्रो० (पी०बी० सिंह)  
वि०वि० नोडल अधिकारी  
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड वि०वि बरेली।
3. निजि सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रो० (पी०बी० सिंह)  
वि०वि० नोडल अधिकारी  
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति